रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1980] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 4, 2012/आश्विन 12, 1934

No. 1980] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2012/ASVINA 12, 1934

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2012

का.आ. 2362(अ).—केन्द्र सरकार ने स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 17 जनवरी, 2012 के आदेश सं. का.आ. 88(अ) द्वारा निदेश दिया था कि उस आदेश की अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं आपूर्ति अथवा वितरण के लिए, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, वर्ष 2011-12 हेतु अर्थात् 30 जून, 2012 तक न्यूनतम प्रतिशतता में पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक की जाएंगी;

और जबकि केन्द्र सरकार ने दिनांक 22 जून, 2012 के सं. का.आ. 1417(अ) के द्वारा उक्त आदेश की वैधता को उक्त आदेश की समाप्ति से तीन माह की अवधि जो कि 30 सितम्बर, 2012 तक है, बढ़ा दिया था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि 30 सितम्बर, 2012 को समाप्त होने वाले उक्त आदेश की वैधता को विस्तार उक्त आदेश की समाप्ति की उपरोक्त तारीख से दो मास की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया जाए।

[फा. सं. 9/16/2011-पटसन]

सुनयना तोमर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 17 जनवरी, 2012 के आदेश सं. का.आ. 88(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 28th September, 2012

S.O. 2362(E).—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed, *vide* order S.O. 88(E), dated the 17th January, 2012, that the commodities specified in column (2) of the Schedule of that order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage, as specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule for year 2011-12, i.e. upto 30th June, 2012;

And whereas the Central Government extended the validity of the said order *vide* No. S.O. 1417(E), dated 22nd June, 2012, for a period of three months from the date of the expiry of the said order, that is, upto 30th September, 2012;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of the said order, expiring on 30th September, 2012, shall be extended for a further period of two months from the aforesaid date of expiry of the said order or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

SUNAINA TOMAR, Jt. Secy.

Note.—The principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* No. S.O. 88(E), dated 17th January, 2012.

3779 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.